



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-457-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/13-14-का०वि०नी०/87(टी०सी०-आर) दिनांक 22 अगस्त, 2013

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि०,
समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-1/2,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं हेतु उ०प्र० शासन की "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण विनियमावली-2013" का अंगीकृत किया जाना।

महोदय,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण विनियमावली-2006" को अंगीकृत किये जाने विषयक पावर कारपोरेशन के आदेश सं० 747-काविनी/पाकालि-29/2007-14 पीएफपी/87 दिनांक 04.10.2007 के अनुक्रम में मुझे यह अवगत कराने का निदेश है कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 13/2/97-का-2013 दिनांक 24.04.2013 द्वारा प्रख्यापित विनियमावली, "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) विनियमावली-2013" को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 100वीं बैठक दिनांक 31.07.2013 की मद सं० (33)/13 पर कारपोरेशन की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

2. उपरोक्त के सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समुचित प्रस्ताव कारपोरेशन स्तर पर गठित निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा :-

- | | | |
|---|---|---------|
| (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० | - | अध्यक्ष |
| (2) निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन) | - | सदस्य |
| (3) अपर सचिव (प्रथम) | - | सदस्य |

अतः उ० प्र० शासन की उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर

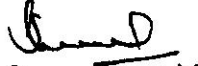
(क्रमशः.....2)

(2)

प्रेषित की जा रही है कि यथा-विनियमावली में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं एवं प्राविधानों से आवरित प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर-2 में इंगित समिति के माध्यम से तदनुसार अग्रतर यथावश्यक कार्यवाही कृपया सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय



(जावेद अहमद) 22/01/13

संयुक्त सचिव (काविनी)

संख्या: 457 (I) का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि०।
5. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की दिनांक 31.07.2013 को आयोजित बैठक की मद सं० सौ(33)/13 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

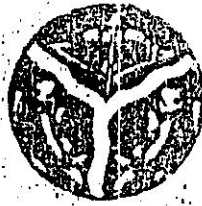
संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से



(सुनील कुमार खरे)

अनु सचिव (काविनी)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनिपम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 अप्रैल, 2013

वैशाख 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या 13/2/97-का-1-2013

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

प्रतीण

सा०पी०नि०-29

संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली 2013 कही जायेगी। सजिदा नाम और प्रारम्भ

(2) यह विस्तृत प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में जोड़े स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:- नियम-4 का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

4-यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथारिथति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथारिथति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में,

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण

विद्यमान नियम

अर्पित राख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्गिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उन्नत निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवर्धन अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथाचित रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अपेक्षित राख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकार के कार्गिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उन्नत निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवर्धन अवधि को छोड़कर, सेवा की ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथाचित शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

परन्तु यह कि -

(एक) विभाग गतिविधियों में, यदि प्रशासनिक विभाग पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित सेवा की न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत से अधिक की शिथिलता प्रदान करने का औचित्य पाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्गिक विभाग के माध्यम से, एक समुचित प्रस्ताव, निम्न प्रकार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा:-

- (1) मुख्य सचिव अध्यक्ष
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्गिक विभाग सदस्य

(3) संबंधित प्रशासनिक विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य

(दो) और, समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों को, कार्गिक विभाग के माध्यम से, प्रशासनिक विभाग को संसूचित किया जायेगा और तत्पश्चात्, पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित की गई सेवा की न्यूनतम अवधि को उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसरण में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है।

परन्तु अग्रतर यह कि, दिनांक 01 मई, 2012 को या तत्पश्चात् सुसंगत सेवा नियमावली में, किसी संशोधन द्वारा सम्मिलित किये गये, पदोन्नति हेतु अहंकारी सेवा अवधि में शिथिलीकरण संबंधी उपबन्ध, ऐसे संशोधन के प्रारंभ के दिनांक से निकाल दिये गये समझे जायेंगे, किन्तु ऐसे निकाल दिये जाने के होते हुए भी, दिनांक 01 मई, 2012 को या तत्पश्चात् और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व ऐसी संशोधित सेवानियमावली के अनुसरण में की गई पदोन्नतियां अप्रभावित रहेंगी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.13/2/07-ka-1-2013, dated April 24, 2013 :

No. 13/11-97-Ka-1-2013

Dated Lucknow, April 24, 2013

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS RELAXATION IN QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (First Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006, for existing rule 4 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1

Existing rule

Relaxation in qualifying service

4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may be suitably relaxed up to fifty percent by the Government in the Administrative Department in consultation with the Personnel Department of the Government, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be.

Relaxation in qualifying service

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may be suitably relaxed upto fifty percent by the Government in the Administrative Department in consultation with the Personnel Department of the Government, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be.

Provided that :-

(1) if in special circumstances, the Administrative Department finds out the justification of granting more than fifty percent relaxation in the minimum length of service prescribed on the lower post or posts as the case may be, for promotion, then in such situation a proper proposal shall be submitted by the Administrative Department through the Personnel Department before the Committee constituted as follows :

(i) Chief Secretary.....Chairman

Relaxation in
qualifying
service

COLUMN-1
Existing rule

Relaxation
in
qualifying
service

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

(ii) Principal Secretary/ Secretary,
Personnel Department.....Member

(iii) Principal Secretary/ Secretary to
the Government in the concerned
Administrative Department

.....Member

(ii) and, the recommendation made
by the Committee after due
consideration, shall be communicated
to the concerned Administrative
Department through the Personnel
Department and, thereafter, the
minimum length of service prescribed
on the lower post or posts, as the case
may be, for promotion may be relaxed
in accordance with the aforesaid
recommendation by the concerned
Administrative Department :

Provided further that provisions
regarding relaxation in qualifying
service for promotion incorporated by
an amendment in the relevant service
rules on or after May 01, 2012 shall,
from the date of the commencement of
such amendment, be deemed to have
been omitted but, notwithstanding such
omission, the promotions made in
accordance with such amended service
rules on or after May 01, 2012 and prior
to the date of the commencement of the
Uttar Pradesh Government Servants
Relaxation in Qualifying Service for
Promotion (First Amendment) Rules
2013 shall remain unaffected.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pranukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या -13/2/97-का-1-2013

लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2013

दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
- 6-प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8-सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 9-मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
- 10-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11-वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोगनार्थ प्रेषित।
- 12-सचिवालय के समस्त विभाग।

आज्ञा से,
जे0 पी0 एन0 द्विवेदी,
उप राचिव।